## अनुदान संख्या 52 - अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
## GRANT No. 52 - ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

| | | | कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत– Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्वः** | **Revenue:** | | | | |
| *प्रभारित–* | *Charged-* | | *2,00* | *1,99* | *-1* |
| *वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि* | *Amount surrendered during the year* | | | | *शून्य Nil* |
| स्वीकृत– | Voted- | | | | |
| मूल | Original | 5573,67,00 | 5634,38,00 | 5596,50,88 | -37,87,12 |
| पूरक | Supplementary | 60,71,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 33,18,93 |
| **पूंजीगतः** | **Capital:** | | | | |
| स्वीकृत– | Voted- | | | | |
| मूल | Original | 467,13,00 | 467,22,00 | 402,60,61 | -64,61,39 |
| पूरक | Supplementary | 9,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 63,61,53 |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचत (₹3787.12 लाख) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹6071.00 लाख के पूरक अनुदान का 62 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत से भी कम थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

***Notes and comments***

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹3787.12 lakhs) constituted 62 percent of the supplementary grants of ₹6071.00 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025 and less than 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत – Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "3451" | Major Head "3451" | | | | |
| सचिवालय– आर्थिक सेवाएं | Secretariat- Economic Services | | | | |
| मू. | O. | 2095.00 | | | |
| पू. | S. | 1.00 | 2375.32 | 2363.89 | -11.43 |
| पु. | R. | 279.32 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2059" | Major Head "2059" | | | | |
| लोक निर्माण कार्य | Public Works | | | | |
| मू. | O. | 22670.00 | 21298.07 | 21291.91 | -6.16 |
| पु. | R. | -1371.93 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2202" | Major Head "2202" | | | | |
| सामान्य शिक्षा | General Education | | | | |
| मू. | O. | 70184.00 | | | |
| पू. | S. | 1.00 | 77255.09 | 77175.71 | -79.38 |
| पु. | R. | 7070.09 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2210" | Major Head "2210" | | | | |
| चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य | Medical and Public Health | | | | |
| मू. | O. | 33098.00 | 34346.24 | 34333.15 | -13.09 |
| पु. | R. | 1248.24 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2215" | Major Head "2215" | | | | |
| जल आपूर्ति और स्वच्छता | Water Supply and Sanitation | | | | |
| मू. | O. | 12828.00 | 13517.45 | 13517.28 | -0.17 |
| पु. | R. | 689.45 | | | |

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत – Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष “2217” | Major Head “2217” | | | | |
| शहरी विकास | Urban Development | | | | |
| मू. | O. | 37486.00 | | | |
| | | | 34962.79 | 34962.24 | -0.55 |
| पु. | R. | -2523.21 | | | |
| मुख्य शीर्ष “2225” | Major Head “2225” | | | | |
| अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण | Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities | | | | |
| मू. | O. | 1516.00 | | | |
| | | | 2085.14 | 2074.35 | -10.79 |
| पु. | R. | 569.14 | | | |
| मुख्य शीर्ष “2235” | Major Head “2235” | | | | |
| सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | Social Security and Welfare | | | | |
| मू. | O. | 9865.00 | | | |
| पू. | S. | 1.00 | 11748.21 | 11746.06 | -2.15 |
| पु. | R. | 1882.21 | | | |
| मुख्य शीर्ष “2406” | Major Head “2406” | | | | |
| वानिकी और वन्य जीव | Forestry and Wild Life | | | | |
| मू. | O. | 31859.00 | | | |
| | | | 32610.52 | 32493.98 | -116.54 |
| पु. | R. | 751.52 | | | |

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "2425" | Major Head "2425" | | | | |
| सहयोग | Co-operation | | | | |
| मू. | O. | 1594.00 | 1027.38 | 1025.48 | -1.90 |
| पु. | R. | -566.62 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2515" | Major Head "2515" | | | | |
| अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | Other Rural Development Programmes | | | | |
| मू. | O. | 11507.00 | 12724.80 | 12718.37 | -6.43 |
| पु. | R. | 1217.80 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2801" | Major Head "2801" | | | | |
| विद्युत | Power | | | | |
| मू. | O. | 87791.00 | | | |
| पू. | S. | 6053.00 | 100498.67 | 100481.58 | -17.09 |
| पु. | R. | 6654.67 | | | |
| मुख्य शीर्ष "3051" | Major Head "3051" | | | | |
| पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ | Ports and Light Houses | | | | |
| मू. | O. | 23913.00 | 22599.52 | 22606.17 | +6.65 |
| पु. | R. | -1313.48 | | | |
| मुख्य शीर्ष "3052" | Major Head "3052" | | | | |
| पोत परिवहन | Shipping | | | | |
| मू. | O. | 51125.00 | 46125.13 | 46095.11 | -30.02 |
| पु. | R. | -4999.87 | | | |

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत – Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "3053" नागर विमानन | Major Head "3053" Civil Aviation | | | | |
| मू. | O. | 15083.00 | 7984.78 | 7984.76 | -0.02 |
| पु. | R. | -7098.22 | | | |
| मुख्य शीर्ष "3054" सड़कें तथा सेतु | Major Head "3054" Roads and Bridges | | | | |
| मू. | O. | 12114.00 | 9858.27 | 9857.39 | -0.88 |
| पु. | R. | -2255.73 | | | |

(I) बीस शीर्षों के अंतर्गत ₹318.50 लाख का प्रावधान (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹318.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh) remained wholly unutilized under twenty heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2059" – "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – निष्पादन" के अंतर्गत ₹1025.49 लाख की बचत (₹10987.37 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एसीपी/एमएसीपी बकाया को अंतिम रूप न देने और छुट्टी वेतन देय राशि, कम एलटीसी दावों की प्राप्ति और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2059" - "General - Direction and Administration - Execution" - saving of ₹1025.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10987.37 lakhs) was due to non-finalization of ACP/MACP arrear and leave salary dues, receipt of less LTC claims and less tours undertaken.

(III) मुख्य शीर्ष "2217" – "सामान्य – नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता – पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद" के अंतर्गत ₹2201.00 लाख की बचत (₹3900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की अव्ययित शेष उपलब्ध होने और सक्षम प्राधिकारी से योजना का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2217" - "General - Assistance to Municipalities/Municipal Councils - Port Blair Municipal Council" - saving of ₹2201.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3900.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year and non-approval of scheme from competent authority.

(IV) मुख्य शीर्ष "2425" – "सूचना एवं प्रचार – प्रचार" के अंतर्गत ₹519.37 लाख की बचत (₹529.00 लाख के

(IV) Under Major Head "2425" - "Information and Publicity - Publicity" - saving of ₹519.37 lakhs

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत कोपरा की खरीद न किए जाने तथा कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of ₹529.00 lakhs) was due to non-procurement of copra under the Price Support Scheme and receipt of less claims.

(V) मुख्य शीर्ष "3051" – "लघु बंदरगाह" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(V) Under Major Head "3051" - "Minor Ports" - savings occurred under the following heads:-

(का) "बंदरगाह प्रबंधन – बंदरगाह स्थापना" – ₹540.09 लाख की बचत (₹7391.83 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नौसेना टगों को किराये पर लेने, दावों की प्राप्ति न होने, एसीपी/एमएसीपी बकाया और छुट्टी वेतन देय राशि को अंतिम रूप न देने और कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(A) "Port Management - Port Establishment" - saving of ₹540.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7391.83 lakhs) was due to hiring of Naval Tugs, non-receipt of claims, non-finalization of ACP/MACP arrear and leave salary dues and receipt of less medical claims.

(खा) "डॉकयार्ड और ड्राई डॉकिंग – सरकारी डॉकयार्ड" – ₹970.67 लाख की बचत (₹12409.46 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एसीपी/एमएसीपी बकाया और छुट्टी वेतन देय राशि को अंतिम रूप न देने और कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(B) "Dockyard and Dry docking - Government Dockyard" - saving of ₹970.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12409.46 lakhs) was due to non-finalization of ACP/MACP arrear and leave salary dues and receipt of less claims.

(VI) मुख्य शीर्ष "3052" – "तटीय पोत परिवहन – पोत परिवहन सेवाएं – अंतर–द्वीपीय पोतों का परिचालन प्रभार" के अंतर्गत ₹5308.36 लाख की बचत (₹29910.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अतिरिक्त कल–पूर्जों की आपूर्ति के कम दावों की प्राप्ति, अंतर–द्वीप के लिए 2*300 यात्री जहाज के चार्टरिंग की स्वीकृति न मिलने, उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने तथा व्यय स्वीकृति और प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने में देरी होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "3052" - "Coastal Shipping - Shipping Services - Operational Charges of Inter-Islands Vessels" - saving of ₹5308.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29910.10 lakhs) was due to receipt of less claims of supply for spare, non-approval of chartering of 2*300 passenger vessel for inter island, non-submission of utilization certificate and delay in obtaining expenditure sanction & administrative approval.

(VII) मुख्य शीर्ष "3053" – "हवाई सेवाएँ – अन्य व्यय" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(VII) Under Major Head "3053" - "Air Services - Other expenditure" - savings occurred under the following heads: -

(का) "पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड को भुगतान" – ₹2305.78 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Payment to Pawan Hans Helicopters Limited" - saving of ₹2305.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs); and

(खा) "विमानों का संचालन एवं रखरखाव" – ₹4686.51 लाख की बचत (₹11083.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Operation and Maintenance of Aircrafts" - saving of ₹4686.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11083.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण को मंजूरी न मिलने तथा तकनीकी कारणों से हेलीकॉप्टरों के अक्सर उड़ान न भरने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-approval of modernization of helicopters and frequent grounding of helicopters due to technical reasons.

(VIII) मुख्य शीर्ष "3054" – "जिला एवं अन्य सड़कें" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(VIII) Under Major Head "3054" - "District and Other Roads" - savings occurred under the following heads: -

(का) "जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता – जिला परिषद" – ₹516.11 लाख की बचत (₹650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Assistance to Zilla Parishads/District level Panchayats - Zilla Parishad" - saving of ₹516.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹650.00 lakhs);

(खा) "ब्लॉक पंचायतों/मध्य स्तरीय पंचायतों को सहायता – पंचायत समितियां" – ₹546.60 लाख की बचत (₹650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) "Assistance to Block Panchayats/ Intermediate level Panchayats - Panchayat Samities" - saving of ₹546.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹650.00 lakhs); and

(गा) "ग्राम पंचायतों को सहायता – ग्राम पंचायतों को मदद" – ₹1093.16 लाख की बचत (₹2850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) "Assistance to Gram Panchayats - Aid to Gram Panchayats" - saving of ₹1093.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2850.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचत पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि की उपलब्धता के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to availability of unspent balances of previous year.

(IX) तेरह शीर्षों के अंतर्गत ₹4657.80 लाख की बचत हुई, जिनमें से प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक थी।

(IX) Under thirteen heads savings of ₹4657.80 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 12 percent to 70 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचत (₹279.32 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – अंडमान और निकोबार द्वीप समूह" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹267.89 लाख था।

2.(I) The above savings were partly (₹279.32 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "3451" - "Secretariat - Andaman and Nicobar Islands". Actual excess, however, was ₹267.89 lakhs.

(II) बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202" –

(क) "प्रारंभिक शिक्षा – सरकारी प्राथमिक विद्यालय – प्राथमिक शिक्षा" – ₹2794.55 लाख का अधिक व्यय (₹33054.23 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "माध्यमिक शिक्षा – राजकीय माध्यमिक विद्यालय – माध्यमिक विद्यालय" – ₹4696.79 लाख का अधिक व्यय (₹20201.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय रिक्त पदों को भरने, न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पीईटी और बैंड मास्टरों के वेतन वृद्धि किए जाने के कारण वेतन हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता और अधिक चिकित्सा दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2210" – "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – निदेशन और प्रशासन – स्वास्थ्य सेवा निदेशालय" – ₹606.01 लाख का अधिक व्यय (₹3689.55 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरने, एमएसीपी बकाया, आउटसोर्स कर्मचारियों के भुगतान का निपटान और वेतन जारी करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "2215" – "सीवरेज और स्वच्छता – ग्राम पंचायतों को सहायता" – ₹686.00 लाख का अधिक व्यय (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सफाई कर्मचारियों का वेतन जारी करने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष "2225" – "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति को अनुदान" – ₹540.48 लाख का अधिक व्यय (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरने के कारण हुआ।

(ड.) मुख्य शीर्ष "2235" – "सामाजिक कल्याण" –

(A) Major Head "2202" -

(a) "Elementary Education - Government Primary Schools - Primary Education" - excess of ₹2794.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33054.23 lakhs); and

(b) "Secondary Education - Government Secondary Schools - Secondary Schools" - excess of ₹4696.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20201.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to filling up of vacant posts, requirement of additional funds towards salaries owing to upgradation of pay of PETs and Band Masters in compliance to court orders and receipt of more medical claims.

(B) Major Head "2210" - "Urban Health Services - Allopathy - Direction and Administration - Directorate of Health Services" - excess of ₹606.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3689.55 lakhs) was due to filling up of vacant posts, requirement of additional funds towards MACP arrears, settlement of payment of outsourced staff and release of wages.

(C) Major Head "2215" - "Sewerage and Sanitation - Assistance to Gram Panchayats - Panchayats" - excess of ₹686.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was due to release of wages to sanitation workers.

(D) Major Head "2225"- "Welfare of Scheduled Tribes - Tribal Area Sub-Plan - Grants to Andaman Adim Janjati Vikas Samiti" - excess of ₹540.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts.

(E) Major Head "2235" - "Social Welfare" -

(क) "महिला कल्याण – विधवाओं / परित्यक्त महिलाओं को भत्ते" – ₹654.99 लाख का अधिक व्यय (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधवाओं को पेंशन के वितरण हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(a) "Women's Welfare - Allowances to Widows/deserted Women" - excess of ₹654.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards disbursement of pension to widows.

(ख) "वृद्ध, अशक्त और निराश्रितों का कल्याण – कल्याणकारी योजनाएं" – ₹782.62 लाख का अधिक व्यय (₹4050.77 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मासिक पेंशन के वितरण हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(b) "Welfare of aged, infirm and destitute - Welfare Schemes" - excess of ₹782.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4050.77 lakhs) was due to requirement of additional funds towards disbursement of monthly pension.

(चा) मुख्य शीर्ष "2406" – "वानिकी – वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन – वन विकास" – ₹1228.53 लाख का अधिक व्यय (₹9586.53 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरने, महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण भत्ते, नए नियुक्त 335 नियमित मजदूरों का वेतन जारी करने और मुआवजा जारी करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(F) Major Head "2406" - "Forestry - Forest Conservation, Development and Regeneration - Forest Development" - excess of ₹1228.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9586.53 lakhs) was due to filling up of vacant posts, requirement of additional funds towards allowances owing to increase in dearness allowance, release of wages to newly appointed 335 regular Mazdoors and release of compensation.

(छा) मुख्य शीर्ष "2515" – "ग्राम पंचायतों को सहायता – ग्राम पंचायत को मदद" के अंतर्गत ₹830.94 लाख का अधिक व्यय (₹3900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्राम पंचायतों को मिलान अनुदान के तहत अनुदान जारी करने के कारण हुआ।

(G) Major Head "2515" - "Assistance to Gram Panchayats - Aid to Gram Panchayat" - excess of ₹830.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3900.00 lakhs) was due to release of grants under matching grants to Gram Panchayats.

(जा) मुख्य शीर्ष "2801" –

(H) Major Head "2801" -

(क) "डीजल / गैस विद्युत उत्पादन – अन्य विद्युत केंद्र – विद्युत संयंत्र और सहायक कार्य" – ₹5563.15 लाख का अधिक व्यय (₹6053.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹53999.84 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्युत संयंत्रों के संचालन के लिए एचएसडी की खरीद, एमएसीपी बकायों का निपटान, कर्मचारियों की पदोन्नति और रिक्त पदों को भरने के कारण हुआ।

(a) "Diesel/Gas Power Generation - Other Power Houses - Power Plant and Ancillary Works" - excess of ₹5563.15 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹53999.84 lakhs including supplementary grant of ₹6053.00 lakhs) was due to procurement of HSD for running of power plants, clearance of MACP arrears, promotion of staffs and filling up of vacant posts.

(ख) "ग्रामीण विद्युतीकरण – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अन्य योजनाएं" – ₹2439.88 लाख का अधिक व्यय (₹6954.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्युत संयंत्रों के संचालन हेतु एचएसडी की खरीद के कारण हुआ।

(b) "Rural Electrification - Tribal Area Sub-Plan - Other Schemes" - excess of ₹2439.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6954.00 lakhs) was due to procurement of HSD for running of power plants.

(III) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹2715.66 लाख का अधिक व्यय हुआ, जिनमें से प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं था तथा स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक था।

(III) Under seven heads excess of ₹2715.66 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 12 percent to 80 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत – Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "4070" | Major Head "4070" | | | | |
| अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | Capital Outlay on other Administrative Services | | | | |
| मू. | O. | 1116.00 | | | |
| पू. | S. | 2.00 | 1555.46 | 1550.22 | -5.24 |
| पु. | R. | 437.46 | | | |
| मुख्य शीर्ष "4210" | Major Head "4210" | | | | |
| चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | Capital Outlay on Medical and Public Health | | | | |
| मू. | O. | 2854.00 | | | |
| | | | 2939.30 | 2939.22 | -0.08 |
| पु. | R. | 85.30 | | | |

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत – Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "4215" | Major Head "4215" | | | | |
| जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय | Capital Outlay on Water Supply and Sanitation | | | | |
| मू. | O. | 7515.00 | 4741.00 | 4740.97 | -0.03 |
| पु. | R. | -2774.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "5052" | Major Head "5052" | | | | |
| पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय | Capital Outlay on Shipping | | | | |
| मू. | O. | 4580.00 | 1750.18 | 1748.91 | -1.27 |
| पु. | R. | -2829.82 | | | |
| मुख्य शीर्ष "5054" | Major Head "5054" | | | | |
| सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय | Capital Outlay on Roads and Bridges | | | | |
| मू. | O. | 9600.00 | 10542.14 | 10542.09 | -0.05 |
| पु. | R. | 942.14 | | | |

(I) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹304.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹304.00 lakhs remained wholly unutilized under seven heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4215" – "जल आपूर्ति" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under Major Head "4215" - "Water Supply" - savings occurred under the following heads:-

(का) "शहरी जल आपूर्ति – शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति" – ₹1210.00 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण और इलेक्ट्रिकल मशीनरी और

(A) "Urban Water Supply - Water Supply to Urban Areas" - saving of ₹1210.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to

केबल के तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण में विलंब की वजह से कार्य पूरा न होने के कारण हुई।

non-completion of work owing to delay in manufacturing and third party inspection of electrical machinery and cable.

(खा) "ग्रामीण जलापूर्ति – ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति" – ₹1605.03 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण सामग्री का परिवहन दूर दराज के द्वीपों में ले जाने के लिए कारगो पोत उपलब्ध न होने की वजह से कार्य शुरू करने में देरी होने के कारण हुई।

(B) "Rural Water Supply - Water Supply in Rural Areas" - saving of ₹1605.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to delay in commencement of work owing to non-availability of cargo ships for transportation of construction materials to far flung remote islands.

(III) मुख्य शीर्ष "5052" – "सामान्य" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "5052" - "General" - savings occurred under the following heads: -

(का) "टन भार का अधिग्रहण और विस्तार – पोतों की खरीद" – ₹1342.11 लाख की बचत (₹2130.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिग्रहण के बजाय जहाजों के चार्टर और वाहनों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण हुई।

(A) "Acquisition and Expansion of Tonnage - Purchase of Ships" - saving of ₹1342.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2130.00 lakhs) was due to charter of vessels instead of acquisition and delay in tendering process for procurement of vehicles.

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – पोतों की खरीद" – ₹1303.20 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिग्रहण के बजाय पोतों के चार्टर किए जाने के कारण हुई।

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Purchase of Ships" - saving of ₹1303.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to charter of vessels instead of acquisition.

(IV) मुख्य शीर्ष "5054" – "जिला एवं अन्य सड़कें – सड़क निर्माण कार्य – जिला सड़कें" के अंतर्गत ₹1079.11 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति और मालवाहक जहाज की अनुपलब्धता के कारण जनजातीय क्षेत्रों में सामग्री की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "5054" - "District and Other Roads - Road Works - District Roads" - saving of ₹1079.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to slow progress of work and non-receipt of materials in tribal areas due to non-availability of cargo ship.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹329.09 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 41 प्रतिशत है।

(V) Under one head saving of ₹329.09 lakhs occurred constituting 41 percent of the sanctioned provision.

4.(I) उपर्युक्त बचत (₹315.82 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि मार्च, 2025 में मुख्य शीर्ष "4070" – "निदेशन एवं प्रशासन – अन्य कार्यालय (सामान्य/सामाजिक/आर्थिक सेवाएँ)" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया

4.(I) The above savings were partly (₹315.82 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2025 under Major Head "4070" - "Direction and Administration - Other Offices

था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹310.64 लाख था।

(II) बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "4210" – "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – अस्पताल और औषधालय – स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय" – ₹669.84 लाख का अधिक व्यय (₹1254.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीटी स्कैन मशीन की खरीद और गराचार्मा में जिला अस्पताल (चरण–I) के निर्माण के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "5054" – "जिला एवं अन्य सड़कें – सड़क निर्माण कार्य – ग्रामीण सड़कें" – ₹1526.21 लाख का अधिक व्यय (₹4440.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने और ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(General/Social/Economic Services). Actual excess, however, was ₹310.64 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "4210" - "Urban Health Services - Hospital and Dispensaries - Directorate of Health Services" - excess of ₹669.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1254.00 lakhs) was due to procurement of CT scan machine and construction of district hospital (Phase-I) at Garacharma.

(B) Major Head "5054" - "District and Other Roads - Road Works - Rural Roads" - excess of ₹1526.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4440.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to meet the committed liabilities and improvement of rural roads.